

कार्यालय क्रमांक	जजराय	बनाम	जिफ्त होल्डर	मुकदमा नम्बर - 22 / 2022	जजराय नं. 107 मुकदमा की तारीख 10 वर्ष 2022
नियम मुकदमा - इजराय	मुकदमा या कार्यवाही का क्या तथ्य हस्ताक्षर जज				

14.10.2022

वकील डिब्बीदार श्री आदित्यप्रताप सिंह नरुका एडो ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावे। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.10.2022 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहसीर जारी की जावे। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 07.11.2022 को पेश हो।

A

दिब्बीदार  
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

4 3/25

पत्रावली लीख देखी से गिरफ्त आज पेश हुई। वकील डिब्बीदार उपस्थित। प्रमुख में पत्रकार हल्का दरमद का काल के हाल पत्रावली द्वारा अकाम कराया है कि प्रमुख में कान लाइन मिलान सिद्धे जाने पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिब्बी की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जरिये नामा सं. 449 दिनांक 05.01.2018 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल इलाक़ हो चुकी है प्रकरण में अभी कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

धन: इजराय पत्रावली को धागे नहीं चलाया गयी हल्का दरमद सि जावा के मत सिद्धे जाने से स्वीकार की जाती है। पत्रावली के मत शुभा होकर बाद तहसील कार्यालय नफतर हो।

जाभांसा  
449 दिनांक  
05.01.2018  
[Signature]  
05.01.2018



सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)  
श्रीमाधोपुर (सीकर)